उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 274–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2020–20/2009 **दिनांक : 13 मई, 2020**

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व)/(पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व)/
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य)/(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम)/
(पारे0प0)/(पारे0म0)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी0एम0यू0टी0)/
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय)/
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
इलाहाबाद/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

ई–मेल

विषयः कोषागारों के परिवर्तन के फलस्वरूप पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आ रही कठिनाइयों एवं समस्याओं के दृष्टिगत उनकी पेंशन इकाई को परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जो अपनी सुविधानुसार पेंशन के आहरण हेतु अपने नजदीकी कोषागार से पेंशन प्राप्त करने हेतु कोषागार को परिवर्तित करा लेते हैं, उनके पूर्व निर्धारित पेंशन भुगतान इकाईयों का परिवर्तन न होने के कारण इन्हें चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में काफी कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः इस सम्बन्ध में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के कोषागार परिवर्तन के फलस्वरूप उनके पेंशन भुगतान इकाई को भी निम्नलिखित शर्तों/प्राविधानों के अधीन परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पूर्व से निर्धारित पेंशन भुगतान इकाई को परिवर्तित किये जाने हेतु सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उस स्थान का अद्यतन तक विभागीय विद्युत देयों को जमा कर विभागीय विद्युत संयोजन का स्थायी विच्छेदन (Permanent Disconnection) कराकर स्थायी विद्युत विच्छेदन का सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप/आदेश को पूर्व पेंशन भुगतान इकाई को उपलब्ध कराया जाना होगा।
2. पूर्व पेंशन भुगतान इकाई द्वारा पेंशनर को किस दिनांक तक चिकित्सा भत्ता का भुगतान कर दिया गया है, की सूचना नयी/परिवर्तित पेंशन भुगतान इकाई को उपलब्ध कराना होगा।
3. पूर्व पेंशन भुगतान इकाई द्वारा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का कोई दावा यदि कार्यालय/इकाई में स्वीकृति की कार्यवाही हेतु लम्बित है तो उसकी सूचना परिवर्तित पेंशन इकाई को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे को उपलब्ध कराते हुए स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध कर लिया जाये, साथ ही यदि कोई चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु उसका भुगतान नहीं हो सका, तो उक्त की सूचना, कि सम्बन्धित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान निधि को उपलब्ध होने पर किया जायेगा, को परिवर्तित पेंशन इकाई को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
4. पूर्व पेंशन भुगतान इकाई द्वारा पेंशन इकाई परिवर्तन की सूचना आवश्यक रूप से सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत अधिकारी/पेंशन निदेशालय को पेंशन प्रपत्र अग्रसारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को उपलब्ध करा दिया जाये।

प्रबन्ध निदेशक

—2

संख्याः- 274 (i)-पारे0अनु0-16/पाट्राकालि-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपो0 लि0।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. कट फाइल।

आज्ञा से,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण-प्रथम)